

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं० 116/2023 (GCMS 2023/198)

1. बिदामी देवी पत्नी स्व. लिखमीचन्द जाति कुम्हार
2. सरस्वती देवी पुत्री स्व. लिखमीचन्द जाति कुम्हार निवासीयान 402 ई-6 जी.एच. 79 सैक्टर 20 पंचकुला (हरियाणा) जरिये रोहिताश कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी कन्धवाला अमरकोट जिला फाजिल्का (पंजाब) हाल आबाद 402 ई-6 जी.एच. 79 सैक्टर 20 पंचकुला (हरियाणा)

बनाम

1. संजय अग्रवाल, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर
2. शान्ति देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 11 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. शिव प्रकाश रिणवां पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी मकान नम्बर 277 चक 11 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

06.11.2023




प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी उपस्थित हुए और फर्द अहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस (Not Press) अंकित कर निवेदन किया कि वे उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी पत्रावली इसी आधार पर दाखिल दफ्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 210/2023 अनवानी शान्ति देवी वगै. बनाम बिदामी देवी वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी बिदामी देवी वगै. द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अंशदीप)

**जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर**